नया: **संबद्ध पार्टी लेन-देन संबंधी नीति**

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

संबद्ध पार्टी लेन-देन नीति (Policy with regard to Related Party Transactions)

परिचय:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इक्विटी लिस्टिंग के संशोधित खंड 49 में (लिस्टिंग अनुबंध) में यह सबद्ध पार्टी लेन-देन के मामले में विस्तृत अपेक्षाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा संशोधित लिस्टिंग अनुबंध में यह कहा गया है कि कंपनी सबद्ध पार्टी लेन-देन की भौतिकता और संबद्ध पार्टी लेन-देन पर एक नीति तैयार करे। अत: कंपनी ने संबद्ध पार्टी लेन-देन की पहचान, समीक्षा और अनुमोदन के लिए यह संबद्ध पार्टी लेन-देन की नीति अपनाई है।

प्रयोजनीयता

यह नीति कंपनी और इसकी संबद्ध पार्टियों के बीच सभी संबद्ध पार्टी लेन-देन पर लागू होगी।

विस्तार एवं प्रयोजन:

यह नीति कंपनी अधिनियम 2013 से लागू प्रावधानों और स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित लिस्टिंग अनुबंध का अनुपालन करने के लिए बनाई गई है। कंपनी अधिनियम,2013 के लागू प्रावधानों में अथवा लिस्टिंग अनुबंध में परवर्ती संशोधन/आशोधन को इस नीति में शामिल माना जाएगा।

परिभाषा:

"अधिनियम" का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियम हैं, जिसमें इनमें किया कोई भी आशोधन, संशोधन, स्पष्टीकरण, परिचय या इसका अधिनियम शामिल है।

"निकट लेन-देन" का अर्थ है दो संबद्ध पक्षों में लेन-देन होना, मानो कि वे असंबद्ध है और उनमें कोई हित विरोध नहीं है।

"एसोसिएट कंपनी" का दूसरी कंपनी के संबंध में अर्थ है कि वह कंपनी, जिसमें अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन यह कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और ऐसे प्रभाव में संयुक्त उद्‌यम कंपनी भी शामिल है।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए "महत्वपूर्ण प्रभाव" का अर्थ है कुल शेयर पूंजी या अनुबंध के अधीन व्यवसाय निर्णयों के कम से कम 20% पर नियंत्रण।

"बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति" या "समिति" का अर्थ है कंपनी के निदेशक मंडल की "लेखापरीक्षा समिति"।

"निदेशक मंडल" या बोर्ड का अर्थ है कंपनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय।

"कंपनी" का अर्थ है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" का अर्थ है कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अर्थ में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक।

"महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टी लेन-देन" संबद्ध पार्टी के साथ लेन-देन तब महत्वपूर्ण समझी जाएगी यदि लेन-देन/लेन-देनों को वित्तीय वर्ष के एकल रूप या पूर्ण लेन-देन को मिलाकर कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के कार्मिक कारोबार के 10% से अधिक हो।

"नीति" का अर्थ है कंपनी का संबद्ध पार्टी लेन-देन।

"संबद्ध पार्टी" का अर्थ व्यक्ति या कंपनी

(i) जो कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 2(76) के अंतर्गत संबद्ध पार्टी है, या

(ii) जो लागू लेखाकरण मानकों के अंतर्गत संबद्ध पार्टी है।

क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(76) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी के संदर्भ में संबद्ध पार्टी का अर्थ है।

(i) निदेशक या उसके संबंधी

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उसके संबंधी

(iii) फर्म, जिसमें निदेशक, प्रबंधक या उसके संबंधी साझीदार हैं।

(iv) निजी कंपनी, जिसमें निदेशक प्रबंधक या उसके संबंधी सदस्य या निदेशक है:

(v) पब्लिक कंपनी, जिसमें निदेशक या प्रबंधक निदेशक है और अपने संबंधियो सहित उसमें उसकी 2% से अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी है।

(vi) किसी भी कॉर्पोरेट निकाय, जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निदेश या अनुदेश के अनुसार काम करने का अभ्यस्त है।

(vii) किसी भी व्यक्ति की सलाह, निर्देश या अनुदेश पर निदेशक या प्रबंधक काम करने का अभ्यस्त है। लेकिन, उपखंड (vi) तथा (vii) का कोई भी प्रावधान पेशेवर रूप में दी गई सलाह, निदेश या अनुदेश पर लागू नहीं होगा।

लेकिन उप खंड(vi) तथा (vii) का कोई भी प्रावधान पेशेवर रूप में दी गई सलाह, निदेश या अनुदेश पर लागू नहीं होगा ।

(viii) कोई भी कंपनी जो

क) ऐसी कंपनी होल्डिंग, सहायक या एसोसिएट कंपनी है या

ख) होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी, जिसकी वह सहायक कंपनी भी है।

(ix) ऐसा अन्य कोई यथा निर्धारित व्यक्ति

ख) लागू लेखाकरण मानकों के अंतर्गत संबद्ध पार्टियां इस प्रकार है:

क) जो उद्यम प्रत्यक्ष या एक या अधिक इंटरमीडिएटरीज के माध्यम से नियंत्रण करते हैं या समान नियंत्रण के अंतर्गत रिपोर्टकर्ता उद्यम द्वारा नियंत्रित होते हैं।(इसमें होल्डिंग कंपनियां, सहायक कंपनियां तथा साथी कंपनियां शामिल हैं)

ख) रिर्पोटिंग कंपनी की एसोसिएट और संयुक्त उद्यम तथा निवेशकर्ता पार्टी अथवा उद्यमी जिसके संबंध में रिर्पोटिंग उद्यम एसोसिएट या संयुक्त उद्यम है।

ग) व्यक्तिगत रूप से स्वामी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिर्पोटिंग उद्यम में वोटिंग अधिकार में हित, जो उन्हें उद्यम पर नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव देता है और ऐसे व्यक्ति के संबंधी।

घ) प्रमुख प्रबंधक कार्मिक और ऐसे कार्मिक के संबंधी और

ङ) उद्यम, जिन पर (ग) और (घ) में वर्णित व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें रिपोर्टिंग उद्यम के निदेशक या प्रमुख शेयर के स्वामित्व में उद्यम और वे उद्यम जिनमें रिपोर्टिंग उद्यम के साझा प्रमुख प्रबंध सदस्य हैं।

लेखाकरण मानकों के उपर्युक्त खंड 10 में संबद्ध पार्टी संबंधों को निश्चित करने के लिए समीचीन कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है, जो इस प्रकार है।

10.1 संबद्ध पार्टी: पार्टियों को संबद्ध माना जाएगा, यदि रिर्पोटिंग अवधि के दौरान किसी भी एक पार्टी में अन्य पार्टी को नियंत्रित करने या वित्तीय और/या प्रचालन निर्णय करने में अन्य पार्टी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में समर्थ है।

10.2 संबद्ध पार्टी लेन-देन: संबद्ध पार्टियों के बीच संसाधनों या उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण भले ही कीमत न ली गई हो।

10.3 नियंत्रण: (क) किसी भी उद्यम के आधे स अधिक के मताधिकार पर प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व। अथवा (ख) कंपनी के मामले में निदेशक मंडल के गठन पर अथवा अन्य किसी उद्यम के मामले में उसके अनुरूप गवर्निंग बाडी के गठन पर नियंत्रण या (ग) मताधिकार में पर्याप्त हित और विधि या अनुबंध के द्वारा उद्यम के वित्तीय और/या प्रचालन नीतियों को निदेशित करने का अधिकार।

10.4 पर्याप्त प्रभाव: उद्यम के वित्तीय और/या प्रचालन नीति निर्णयों में भागीदारिता, लेकिन उन नीतियों के नियंत्रण में नहीं।

10.5 एसोसिएट: उद्यम जिसमें निवेशकर्ता रिर्पोटिंग पार्टी का पर्याप्त प्रभाव है और जो न तो वह उस पार्टी की सहायक कंपनी है और न ही संयुक्त उद्यम।

10.6 संयुक्त उद्यम: एक संविदात्मक व्यवस्था, जिसके द्वारा दो या इससे अधिक पार्टियां एक आर्थिक गतिविधि को शुरू करते हैं और वह संयुक्त नियंत्रण के अधीन होती है।

10.7 संयुक्त नियंत्रण: आर्थिक गतिविधि की वित्तीय और प्रचालन नीति को समाहित करने के लिए संविदात्मक रूप से अधिकार को साझा करना ताकि उससे लाभ प्राप्त किया जा सके।

"संबद्ध पार्टी लेन-देन": कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 188 में निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध पार्टी के साथ सभी संविदाएं या अनुबंध शामिल है:

क) किसी भी माल या सामग्री का विषय, क्रय या उसकी आपूर्ति,

ख) किसी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या अन्यथा निपटान या उसका क्रय,

ग) किसी भी प्रकार की सम्पत्ति की लीजिंग

घ) किसी भी सेवा को लेना या देना

ङ) माल, सामग्री सेवा या सम्पत्ति के क्रय अथवा विक्रय के लिए किसी भी एजेंट की नियुक्ति

च) कंपनी, इसकी सहायक कंपनी या एसोसिएट कंपनी में किसी भी कार्यालय या लाभप्रद स्थल पर ऐसे संबद्ध पार्टी की नियुक्ति, और

छ) कंपनी की किसी भी सिक्योरिटी या उसके डेटीवेटिक के अंशदान की अंडर राइटिंग

सूचीकरण अनुबंध के अनुसार संबद्ध पार्टी लेन-देन कंपनी और संबद्ध पार्टी के बीच संसाधनों के सेवाओं या दायित्वों का हस्तांतरण है, चाहे उसके लिए कीमत ली जाती है या नहीं।

"संबंधी" का किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में अर्थ है, जो किसी दूसरे से संबंधित है, यदि

(i) वे अविभाजित हिंदू परिवार के सदस्य हैं

(ii) वे पति और पत्नी है, या

(iii) कोई एक व्यक्ति दूसरे से निम्न रूप संबंधित है,

क) पिता (सौतेला पिता सहित)

ख) माता (सौतेली माता सहित)

ग) पुत्र(सौतेला पुत्र सहित)

घ) पुत्र वधु

ङ) पुत्री

च) पुत्री का पति

छ) भाई (सौतेला भाई सहित)

ज) माता (सौतेली माता सहित)

"**लेन-देन**": संबद्ध पार्टी के साथ लेन-देन में संविदा के अंतर्गत किया गया एक लेन-देन या लेन-देन के साथ शामिल होगा।

संबद्ध पार्टी लेन-देन की समीक्षा एवं अनुमोदन

बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति

प्रत्येक संबद्ध पार्टी लेन-देन के लिए बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

किसी भी लेन-देन पर विचार करने के लिए समिति सभी संगत तथ्यों और परिस्थितियों तथा लेन-देन की शर्तों सहित लेन-देन के व्यावसायिक प्रयोजन, कंपनी को होने वाले लाभ या अन्य संगत विषयों को ध्यान में रखेगी।

बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति संबद्ध पार्टी लेन-देन के लिए बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान कर सकती है, जो (i) पुनरावृत्तीय प्रकृति के हैं (ii) व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में है (iii) सामान्य पहुंच में हैं और (iv) महत्वपूर्ण सीमाओं में है। बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति इस नीतिके अनुसार बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के लिए मानदंड निर्धारित करेगी।

प्रदत्त बहुप्रयोजनीय अनुमोदन केवल एक वर्ष के लिए होगा और एक वर्ष की समाप्ति के बाद फिर नया अनुमोदन लेना होगा।

अनुमोदन में निम्नलिखित का उल्लेख होगा

क) संबद्ध पार्टी का (के) नाम

ख) लेन-देन का स्वरूप

ग) लेन-देन की अधिकतम राशि, जो हो सकती है

घ) लेन-देन की अवधि

ङ) अंकित मूल कीमत/वर्तान संविदात्मक कीमत और कीमत में विभिन्नता का सूत्र यदि है तो

च) अन्य कोई शर्त, जिसे ओर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति ठीक और उचित समझे।

जहां पर आरपीटी की आवश्यकता का अनुमान न लगाया जा सकता हो और उपर्युक्त विवरण उपलब्ध न हों, वहां पर बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति ऐसे लेन-देन के लिए बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान कर सकती है लेकिन जिसका मूल्य प्रति लेन-देन 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति न्यूनतम तिमाही के आधार पर प्रदत्त प्रत्येक बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी द्वारा किए गए आरपीटी विवरण की समीक्षा करेगी।

बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा का ऐसा अनुमोदन परिपत्र संकल्प के माध्यम से अथवा लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित करके प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक मंडल

वे सभी संबद्ध पार्टी लेन-देन जो व्यवसाय के दौरान नहीं हुए हैं और/या निकट संबंध के आधार पर नहीं है लेकिन कंपनीज (बोर्ड की बैठकें एवं इसकी शक्तियां) नियम 2014 के अनुसार नियत सीमाओं के अंदर है तो उसे बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए लाया जाना।

सभी (क) संबद्ध पार्टी लेन-देन जो कंपनीज (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम 2014 के अनुसार नियत सीमाओं से परे हैं और कंपनी के व्यवसाय के सामान्य कार्य में नहीं है और/या संबंध के आधार पर नहीं है

(ख) महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टी लेन-देन में शेयरधारकों के अपेक्षित अनुमोदन का बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है ।

बोर्ड का ऐसा अनुमोदन आयोजित बैठक में लिया जाएगा।

शेयरधारक

सभी (क) संबद्ध पार्टी लेन-देन जो कंपनीज (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम 2014 के अनुसार नियत सीमाओं से परे हैं और कंपनी के व्यवसाय के सामान्य कार्य में नहीं है और/या संबंध के आधार पर नहीं है

(ख) महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टी लेन-देन के लिए विशेष संकल्प (बोर्ड के सम्यक अनुमोदन के बाद) के माध्यम से बीएचईएल शेयरधारकों का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

सामान्य

क. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अलावा, सूचीकरण अनुबंध के खंड 49 के उप खंड VII के स्पष्टीकरण (ii) के संदर्भ में संबद्ध पार्टी की परिभाषा में आने वाली सभी कंपनियां वोटिंग नहीं करेंगी, भले ही वह कंपनी विशिष्ट लेन से संबंधित पार्टी है या नहीं।

ख. महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टी लेन-देन के निम्नलिखित मामलों में जो निकटता और कंपनी के सामान्य व्यवसाय के दौरान हुई हैं, उनके लिए बोर्ड और शेयरधारकों के अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

(i) दो सरकारी कंपनियों के बीच हुए लेन-देन

(ii) होल्डिंग कंपनी और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच हुए लेन-देन, जिनके ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित किए जाते हैं और आम बैठक में अनुमोदन के लिए शेयरधारकों के साथ रखे जाते हैं।

स्पष्टीकरण: खंड 49(vii) के प्रयोजन के लिए सरकारी कंपनी का वही अर्थ होगा, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित किया गया है।

प्रकटन:

कंपनी अधिनियम सूचीकरण अनुबंध के अधीन अपेक्षित संबद्ध पार्टी लेन-देन से संबंधित सभी प्रकटन तदनुसार किए जाएंगे।

सीमाएं:

इस नीति और सूचीकरण अनुबंध/कंपनी अधिनियम 2013 या अन्य सांविधिक नियमन, नियम के बीच किसी भी विरोधहोने की दशा में सूचीकरण अनुबंध/कंपनी अधिनियम,2013 या अन्य सांविधिक नियमन, नियम, जैसी भी स्थिति हो, इस नीति से ऊपर माने जाएंगे और तदनुसार सभी संबंधितों द्वारा उसका पालन किया जाएगा।

संबद्ध पार्टी लेन-देन की महत्ता पर नीति

संबद्ध पार्टी के साथ लेन-देन को महत्वपूर्ण तब समझा जाएगा यदि किए गए लेन-देन (लेन-देनों) को एकल या पिछले वित्तीय वर्ष के पूर्व लेन-देनों के साथ मिलाकर कंपनी के गत लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक है ।

महत्वपूर्ण सहायक कंपनी पर नीति

सहायक कंपनी को महत्वपूर्ण तभी समझा जाएगा यदि सहायक कंपनी में कंपनी का निवेश पूर्व वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार समेकित शुद्ध मूल्य 20% से अधिक है या सहायक कंपनी ने पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के समेकित आय का 20% कमाया है ।

कंपनी अपनी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी में शेयर नहीं बेचेगी जिससे उसकी शेयरधारिता (या तो अपने आप अथवा अन्य सहायक कंपनियों को साथ मिलाकर) 50% से कम हो जाए या अपनी आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किए बिना सहायक कंपनी पर से नियंत्रण समाप्त हो जाए सिवाय उन मामलो को छोड़कर जहां पर न्यायालय/अधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा विनिवेश किया जाता है ।

एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की 20% से अधिक परिसम्पत्तियों को बेचने, उनका निपटान करने, और लीज पर देने के लिए विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों से पहले अनुमोदन लिया जाएगा ।

****